

न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, आसिया

पीठासीन अधिकारी:-श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना संख्या:- 382/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
मनोहरसिंह पुत्र श्री हरीसिंह जाति राजपूत निवासी रामपुरा भाटियान तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी।

उपस्थित-

प्रार्थी :-अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा।

अप्रार्थी :- सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

-:निर्णय:-

दिनांक ..3/12/19...

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है:- प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 591/13, 591/14, 591/8 कुल रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा 09 बिस्वांशी ग्राम रामपुरा भाटियान, खसरा नम्बर 370/17, 373/1 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा मौजा ग्राम सिन्धीयों की ढाणी तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी मनोहरसिंह का नाम मनोहरगोपालसिंह व मनोहरगोपाल दर्ज हैं लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम मनोहरसिंह हैं। राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों भूल वंश मनोहरगोपालसिंह व मनोहरगोपाल दर्ज कर दिया जो गलत हैं। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स इत्यादि मनोहरसिंह नाम से बने हुए हैं तथा प्रार्थी की भारतीय सेना के सर्विस रिकॉर्ड में भी नाम मनोहरसिंह दर्ज है। उक्त राजस्व रेकॉर्ड में नाम त्रुटि केवल राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकॉर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व रेकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के नाम में एकरूपता नहीं होने की वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बैंक ऋण लेने में भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 591/13, 591/14, 591/8 कुल रकबा 06 बीघा 02

382/17 382/17

बिस्वा 09 बिस्वांशी ग्राम रामपुरा भाटियान तथा खसरा नम्बर 370/17, 373/1 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा मौजा ग्राम सिन्धीयों की ढाणी तहसील तिंवरी जिला जोधपुर में प्रार्थी का मनोहरगोपालसिंह व मनोहरगोपाल के स्थान पर सही नाम मनोहरसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें भी प्रार्थी का सही नाम मनोहरसिंह बताया है तथा राजस्व रेकॉर्ड में नाम मनोहरगोपालसिंह व मनोहरगोपाल के स्थान पर मनोहरसिंह दर्ज किये जाने हेतु अनुशांसा की गई है। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रेकॉर्ड पर लिया गया।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 591/13, 591/14, 591/8 कुल रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा 09 बिस्वांशी ग्राम रामपुरा भाटियान तथा खसरा नम्बर 370/17, 373/1 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा मौजा ग्राम सिन्धीयों की ढाणी तहसील तिंवरी जिला जोधपुर के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मनोहरगोपालसिंह व मनोहरगोपाल के स्थान पर सही नाम मनोहरसिंह पुत्र हरीसिंह दर्ज कर राजस्व रेकॉर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर डाखिल दपतर हो।



उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 3/12/19 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी, ओसियां